भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4673

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक)

बीड़ी कामगार

4673. श्री बिद्रयुत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों की अनुमानित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीड़ी का निर्यात किन-किन देशों को किया गया और इससे देश-वार कितना विदेशी राजस्व अर्जित हुआ है;
(ग) क्या तंबाकू और अन्य खतरनाक पदार्थों के निरंतर संपर्क में आने के कारण अधिकांश बीड़ी श्रमिक कई बीमारियों से पीड़ित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) बीड़ी श्रमिकों, विशेषकर महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना/उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) बीड़ी श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बीड़ी उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों की अनुमानित संख्या के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं, तथापि बीड़ी बनाने के व्यवसाय में लगे बीड़ी कामगारों की संख्या **अनुबंध-'क'** पर दी गई है।
(ख): वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की अवधि के लिए निर्यात की गई देश-वार बीड़ी तथा उससे अर्जित विदेशी राजस्व **अनुबंध- 'ख'** पर संलग्न है।
(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं विशेषत: बीड़ी कामगारों के बीच स्वास्थ्य के मुद्दों और बीमारियों को संबोधित करती हैं।
(घ): सभी बीड़ी कामगारों (किसी लिंग विशेष के लिए नहीं) की कार्य-दशाओं और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं/किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

<u>स्वास्थ्य योजना</u>

बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितजनों को समस्त देश में स्थित 10 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जोखिमकारी बीमारी के मामले में बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितजनों द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के अंतर्गत लिए जा रहे विशेषीकृत उपचार हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

<u>आवास योजना</u>

बीड़ी कामगारों को मकानों के निर्माण के लिए 1,50,000/- रुपये की आर्थिक सहायता 25:60:15 के अनुपात में तीन किस्तों (पहली अग्रिम के रूप में, दूसरी चौखट के स्तर पर पहुंचने पर तथा तीसरी किस्त यह निरीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद कि मकानों का निर्माण पूरी तरह से सम्पन्न हो चुका है) में जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है।

अब, यह योजना सार्वभौम प्रधान मंत्री आवास योजना के साथ विलय की गई है।

<u>छात्रवृत्ति योजना</u>

कम-से-कम छह माह की निरंतर सेवा दे चुके बीड़ी कामगारों की संतानों को 250/- रुपये से 15000/- रुपये प्रतिवर्ष तक की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आबंटित निधियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-'ग'** पर दिया गया है।

(च) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में दी गई योजनाओं से इतर, बीड़ी कामगार, असंगठित कामगारों का हिस्सा होने के नाते निम्नलिखित लाभों के भी हकदार हैं:

(i) इन कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता छत्र प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की विलय की गई योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार समान मात्रा में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं।

(ii) 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण हेतु प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना। 18-40 वर्ष के आयु समूह के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या इससे कम है तथा ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त-पोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यह एक अंशदायी योजना है जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है तथा समान अनुपात में अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

***   *******

<u>अनुबंध- 'क'</u>

बीड़ी कामगारों के संबंध में 23 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4673 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पंजीकृत बीड़ी कामगारों के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल
1.	अहमदाबाद	गुजरात	**39011**
2.	अजमेर	राजस्थान	**38791**
3.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	**412757**
4.	बैंगलोर	कर्नाटक	**295501**
5.	भुवनेश्वर	ओडिशा	**208212**
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश तेलंगाना /	**458040**
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	**440556**
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	**1829203**
9.	गुवाहाटी		**24398**
10.	कन्नूर	केरल	**40276**
11.	नागपुर	महाराष्ट्र	**155089**
12.	पटना	बिहार	**296972**
13.	रायपुर	छत्तीसगढ़	**3893**
14.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	**603076**
15.	रांची	झारखंड	**136519**
	कुल		**49,82,294**

अनुबंध - 'ख'

बीड़ी कामगारों के संबंध में 23 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4673 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान भारत से विभिन्न देशों में बीड़ी का निर्यात

आईटीसीएच कोड	विवरण	निर्यात का देश	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर)	
			टन में मात्रा	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	टन में मात्रा	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	टन में मात्रा	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में	टन में मात्रा	मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में
24031921	बीड़ी, मशीन की सहायता के बिना निर्मित कागज रॉल करके बनाई गई बीडियों से इतर	अफगानिस्तान	47.50	0.42	38.39	0.50	32.00	0.37	14.00	0.24
		अर्जेंटीना	0.11	0.00					0.60	0.01
		बाहामास					0.00	0.00		
		ग्रेनेडा					0.02	0.00	1.64	0.04
		ईरान	15.52	0.11						
		केन्या					0.00	0.00		
		मलेशिया	9.94	0.06			8.60	0.12		
		मॉरीशस	0.74	0.00						
		मोंटसेराट					0.04	0.00	0.01	0.00
		मोज़ाम्बिक			0.00	0.00				
		नामिबिया							0.18	0.00
		नेपाल	0.64	0.00	6.87	0.11	0.42	0.01		
		नीदरलैंड					0.70	0.01		
		नीदरलैंड एंटिल	23.01	0.38	31.60	0.75	13.40	0.23	2.62	0.02

		न्यूजीलैंड					0.02	0.00		
		ओमान							5.30	0.11
		पनामा गणराज्य					4.00	0.11		
		पेरु			1.00	0.01				
		सेनेगल			1.30	0.03	0.70	0.02		
		सियरा लिओनि					0.01	0.00		
		सिंगापुर	6.08	0.13	11.69	0.26	32.48	0.86	14.54	0.27
		सोमालिया					0.03	0.00	12.00	0.30
		दक्षिण अफ्रीका	0.11	0.00	5.44	0.07	41.60	0.29	1.40	0.03
		श्रीलंका डीएसआर	10.00	0.00			34.01	0.55		
		सेंट लूसिया	0.21	0.00			0.06	0.00		
		स्विट्ज़रलैंड	2.37	0.08	0.53	0.02	0.05	0.00	0.25	0.01
		तंजानिया गणराज्य					10.00	0.16		
		त्रिनिदाद	1.04	0.03	1.20	0.03	1.57	0.04	8.05	0.18
		संयुक्त अरब अमीरात	271.55	4.10	187.79	3.12	183.32	3.51	50.89	0.68
		अमेरीका	8.36	0.19	2.00	0.04	3.57	0.11	1.60	0.04
		यमन गणराज्य							8.45	0.19
		जाम्बिया	23.20	0.31	65.03	0.44	106.40	1.32	96.41	1.69
24031929	अन्य बीडियां	अफगानिस्तान			10.00	0.02				
		ऑस्ट्रेलिया	3.40	0.03	1.60	0.00				
		बेल्जियम	0.04	0.00						
		कजाकिस्तान					0.05	0.00		
		नामिबिया							1.60	0.01

		नेपाल	3.87	0.02	9.35	0.02	2.75	0.01	6.30	0.02
		नीदरलैंड एंटिल	0.50	0.00						
		न्यूज़ीलैंड	0.24	0.00						
		फिलिपींस	0.03	0.00						
		सउदी अरब	0.08	0.00	0.40	0.00				
		दक्षिण अफ्रीका	2.18	0.02	0.68	0.01				
		श्रीलंका डीएसआर			14.00	0.00				
		सेंट किट एन ए					0.04	0.00		
		सेंट लूसिया					0.07	0.00	0.06	0.00
		स्विट्ज़रलैंड	0.70	0.03						
		त्रिनिदाद							1.63	0.04
		संयुक्त अरब अमीरात	6.46	0.05			1.00	0.01		
		अमेरीका	1.72	0.05	0.84	0.01	0.29	0.00	0.04	0.00
		जाम्बिया			1.00	0.01	0.83	0.01		
बीड़ी का कुल निर्यात			**439.60**	**6.03**	**390.70**	**5.44**	**478.00**	**7.75**	**227.56**	**3.89**

2019-20 के आंकड़े अनंतिम तथा परिवर्तन के अधीन हैं

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय से यथा प्राप्त सूचना।

<u>अनुबंध - 'ग'</u>

बीड़ी कामगारों के संबंध में 23 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4673 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

(हजार रूपये में)

क्षेत्र	**कुल योग** **बजट प्राक्कलन 2016-17**
मुख्यालय	559319
अजमेर	164402
इलाहाबाद	127268
बैंगलोर	479758
भुवनेश्वर	241272
हैदराबाद	439867
जबलपुर	277796
रांची	190327
कोलकाता	406077
नागपुर	138314
कुल	**3024400**

क्षेत्र	**कुल योग** **बजट प्राक्कलन 2017-18**
मुख्यालय	1657132
अजमेर	184051
इलाहाबाद	151266
बैंगलोर	273784
भुवनेश्वर	241074
हैदराबाद	359009
जबलपुर	308483
रांची	218123
कोलकाता	250151
नागपुर	126083
कुल	**3800000**

क्षेत्र	कुल योग बजट प्राक्कलन 2018-19
मुख्यालय	579477
अहमदाबाद	100438
अजमेर	79669
चंडीगढ़	2703
देहरादून	11294
इलाहाबाद	73006
कन्नूर	45022
बैंगलोर	164353
बारबिल	30655
भुवनेश्वर	151047
तिरुनेलवेली	105819
कालीचेदू	5120
हैदराबाद	113535
रायपुर	55970
इंदौर	2451
जबलपुर	163892
पटना	97361
बरजाम्दा	17745
गुवाहाटी	86317
कर्मा	73073
कोलकाता	302384
नागपुर	159769
कुल	**2421600**

क्षेत्र	कुल योग बजट प्राक्कलन 2019-20
मुख्यालय	257050
अहमदाबाद	77416
अजमेर	113300
चंडीगढ़	3810
देहरादून	8457
इलाहाबाद	106693
कन्नूर	49338
बैंगलोर	200000
बारबिल	57477
भुवनेश्वर	131853
तिरुनेलवेली	131942
कालीचेदू	9670
हैदराबाद	151218
रायपुर	65428
इंदौर	4900
जबलपुर	188229
पटना	91587
Barajamda	22415
गुवाहाटी	235556
कर्मा	270
कोलकाता	257965
नागपुर	205426
कुल	**2370000**

******